

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
शा.उ.भा.वि.पोडागुडा
वि.ख.जगदलपुर जिला-बस्तर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पाचार्य
शा. हाईस्कूल धनो घाट धनोरा
विख. लोकपाल जिला-बस्तर


विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यो न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्रचार्य
शा.उ.भा.वि.पंडरीपानी
वि.श्व.जगदलपुर जिला-बस्तर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक/475 /परीक्षा/मण्डल/2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

श्री-चारु,
बालकीय आई लक्ष्मण
डेरालूर जिला 00 - लोकापाल

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र०/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र०/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025


—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

पृ०क्रमांक/476 /परीक्षा/मण्डल/2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्रान्तिय
शालीय डिप्टी
चोडर डिप्टी - बालर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025

कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य,
शांकीय हाई स्कूल
ललित बाग जिला बस्तर जगदलपुर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0 / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0 / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक/475/परीक्षा/मण्डल/2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य,
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बस्तर जगदलपुर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025

कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक/476/परीक्षा/मण्डल/2023-24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

.....
प्रिन्सिपल
.....
स्केजल (अंग्रेजी भाषा)
.....
लोकपाल कि० वर० - लोकपाल

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
शास्त्री हर देव लाल
बालेश मि 098-बस्तर

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
शालाकारी रायर डेके लक्ष्मण
लोनादणाल वि० ७० - बस्तर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक/475/परीक्षा/मण्डल/2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
सेवास (हिन्दी माध्यम)
उरीलगांव पिठौर - बडोदा

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र०/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025

कार्यालयीन पत्र क्र०/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक/476/परीक्षा/मण्डल/2023-24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
लेजल (अंग्रेजी माध्यम)
डिलेपाल वि० क्र० - लाहलानार

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
महालय उई लक्ष्मण
जेलवारि कि ७० - बडावंड

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
शांला डी. ए. ए. ए.
वरिष्ठपाल वि. वि. वि. - बस्तर


विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र०/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र०/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

प्राचार्य
बालकृष्ण उड्डे लक्ष्मण
नेशनल वि० क्र० - ६२५

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पू०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक/475/परीक्षा/मण्डल/2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
लेजेव (अंग्रेजी भाषा)
बस्तर जिला - बस्तर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक/476/परीक्षा/मण्डल/2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

.....
.....
.....
.....

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025

कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

.....
माचार्य
.....
स्नेहान - धरमपुरा
.....
क्रो 090 - जगदलपुर

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0 / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0 / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

श्री-चारु
राजकीय उच्च विद्यालय
बोरपदर जिला बस्तर - जगदलपुर

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
छोगो उत्तर माध्यमिक शिक्षा
मण्डल 02 जिला बस्तर जगदलपुर

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छोगो माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छोगो माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छोगो की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
स्केजल - बडोचो

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र0/439/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र0/458/परीक्षा/मण्डल/2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज0मा0शा0बहु उ0मा0वि0 जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ0क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्रिचाय
शासकीय उत्तर का वि
कक्षा - बडीपु

विषय:- कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

प्राचार्य
बालिका हायर सेकेण्डरी
मण्डल - 02 वि० क्र० - अडाव०५

विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्यों न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल
चपडा वि० 00 - बस्तर


विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

क्रमांक / 475 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

प्राचार्य
शालाग्रि हरि लाल / हायर सेकेंडरी
लावापुर वि० ब० - ब०/१०५


विषय:- कारण बताओं सूचना पत्र।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र० / 439 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 26.03.2025
कार्यालयीन पत्र क्र० / 458 / परीक्षा / मण्डल / 2024-25 दिनांक 01.04.2025

—00—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मण्डल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता को तत्काल मूल्यांकन केन्द्र ज०मा०शा०बहु उ०मा०वि० जगदलपुर हेतु भारमुक्त किये जाने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, वर्तमान में जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् भी उक्त कार्य हेतु नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं को आपके द्वारा आदेशित संस्था हेतु भारमुक्त नहीं किया गया है, फलस्वरूप कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य विषय हिन्दी, अंग्रेजी एवं राजनीति विज्ञान के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है।

आपका उपरोक्त कृत्य कक्षा 10वीं एवं 12वीं अतिमहत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा प्रतिकूल है। क्या न इस कृत्य के लिये आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को प्रस्तावित की जावे? अतः आप आज ही आदेशित मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन केन्द्र हेतु भारमुक्त कर अपना समाधानकारक स्पष्टीकरण पत्र आज ही अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं होने एवं समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 04/04/2025

पृ०क्रमांक / 476 / परीक्षा / मण्डल / 2023-24
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर जगदलपुर